न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः–120/2025

प्रार्थीगण::–

1. बदामीदेवी पत्नी जसराज जाति घांची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. बंशीलाल पुत्र नेमाराम जाति घांची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. गोदाराम पुत्र नेमाराम जाति घांची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. ताराचन्द पुत्र चूना जाति घांची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. कानिया पुत्र मादा (फौत) के कायम मुकाम

   2/1 पोलाराम पुत्र कानिया

   2/2 भगवानाराम पुत्र कानिया

   जाति घांची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. हमीरसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि शाखा–सिवाना जिला बालोतरा
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री नेहपालसिंह वकील प्रार्थीगण

2. श्री महावीरसिंह व बलवंतसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3

3 शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

::आदेश::

दिनांकः– 21.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 2211, 2210 व 2209 रकबा क्रमशः 1.1116, 0.3721 व 0.7417 हैक्टेयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरो की लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि ख.स. 2215, 2214, व 2212 की भूमिया आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया ए से सी विप्रार्थी सं. 1 से 3 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री महावीरसिंह व बलवंतसिंह उपस्थित होकर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत सहमति जाहिर की गई। विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के समीप स्थित विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल बिन्दू संख्या ए से सी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थीगण उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को देने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थीगण को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थीगण को खातेदारी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुँच तक विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 2215, 2214 व 2212 ही इकलौता एवं समस्त विकल्पों मे से निकटतम स्त्रोत है, प्रार्थीगण ने रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) को भलीभांति सिद्ध किया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पिोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2211, 2210 व 2209 भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 3 खातेदारी भूमि खं.सं. 2215 में से लम्बाई 52 मीटर व चौडाई 6 मीटर रकबा 0.0312 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2214 में से लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 6 मीटर रकबा 0.0564 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2212 लम्बाई 80 मीटर व चौडाई 6 मीटर रकबा 0.0240 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक– राजस्व/2026/583 दिनांक 05.05.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना(बालोतरा)

बदामीदेवी बनाम तारायत अन्तर्गत धारा 251A RTA

खसरा. 2212 की कुल चौड़ाई 3मीटर से अधिक नहीं है, अत: 2212 मे प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर रखी हुई है, खसरा 2212 से जुड़ता हो प्रार्थीगण का खसरा. 2211, 2210, 2209 है।

06. रास्ते की प्रस्तावित भूमि मे किसी भी प्रकार का निर्माण, ढाणी एवं पुराना पेड़ स्थित नहीं है।

नजरी नक्शा.

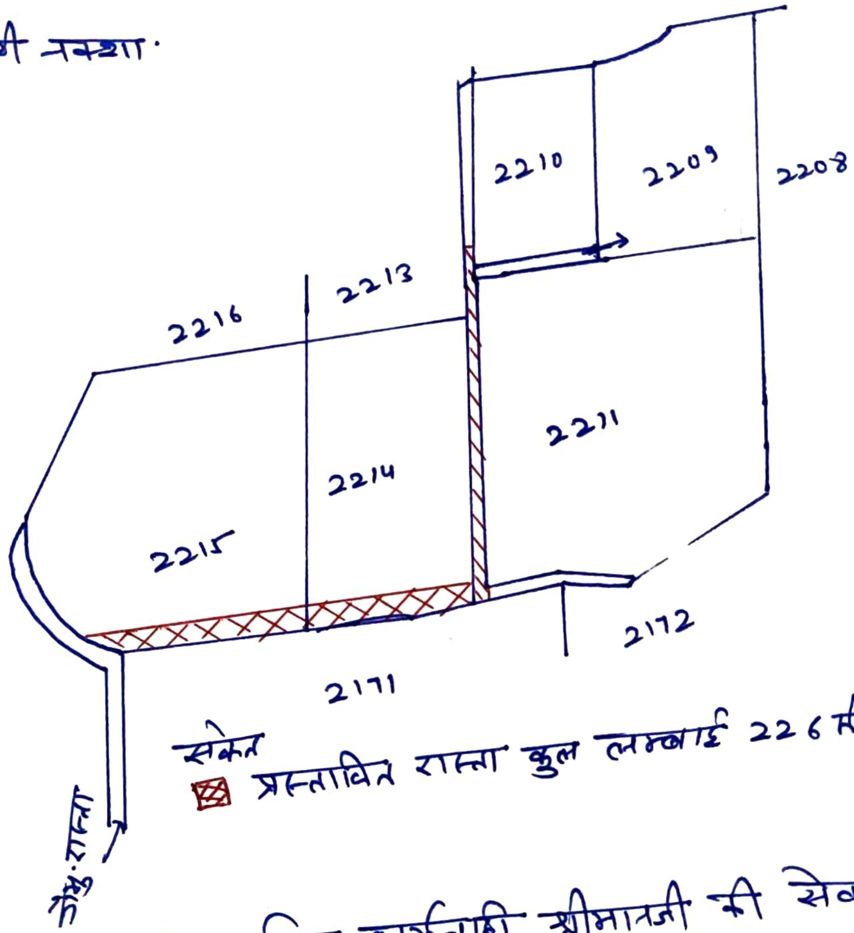

रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही श्रीमानजी की सेवामे पेश है।

Pawan Singh
प०।सिवाना।

Ex-court

30.04.2026
(महेन्द्र कुमार)
निरीक्षक (भू.म.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)